(5)

न्यायालय श्रीमान् माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0 ।

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
20 रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

III/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/2356

1- रामस्वरूप कुशवाहा तनय श्री रामपियारे कुशवाहा उम्र 70 साल पेशा खेती निवासी ग्राम पौका सोनवर्षा तहसील देवतालाब पुरानी तह0मऊगंज जिला रीवा म0प्र0 --------- आवेदक ।

श्री वीरेन्द्र कुमार तिवारी एड. द्वारा आज दि. 26-7-17 को प्रस्तुत

बनाम

शासन म0प्र0 --------- अनावेदक ।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 26-7-17

वीरेन्द्र कुमार तिवारी एड. रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर कमिश्नर रीवा के प्र0क्र0 148/पुर्नविलोकन/15-16 पारित आदेश दि0 14-07-16 एवं मूल प्र0क्र0 188/ निगरानी/91-92 पारित आदेश दिनांक 24-02-16 .

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त विवरण निम्न है :-

1- यह कि आराजी खसरा क्र0 56 सड़क पटरी राष्ट्रीय राजमार्ग नं07 जो भारत सरकार केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय के द्वारा अधिग्रहीत की गयी जो ग्राम पौका सोनवर्षा तहसील मऊगंज जिला रीवा स्थित है जो रीवा से मिर्जा-पुर के नाम से जानी जाती है । उसी पटरी के किनारे आवेदक के विरुद्ध - नायब तहसीलदार सर्किल देवतालाब के द्वारा अतिक्रामक मानकर 248 का

रामस्वरूप

क्र0 ---

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन / रीवा / निगरानी / भू.रा. / 2017 / 2356

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-8-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री व्ही0 के0 सिंह द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल मनगंवा के प्रकरण कमांक 148 / पुर्नवलेकन / 15–16 में पारित आदेश दिनांक 14.7.2016 एवं मूल प्रकरण कमांक 188 / निगरानी / 91–92 में पारित आदेश दिनांक 24.2.16 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 1 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सके, समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है। (एम0 एस0 अली) सदस्य	